न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 360/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या– 2022/471

प्रार्थी

बजाज हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय चौथी मंजील, बजाज फिनसर्व कॉरपोरेट ऑफिस, एचओ विमान नगर, ऑफ पूणे अहमदाबाद रोड, पूणे, महाराष्ट्र 411014 क्षेत्रीय कार्यालय तृतीय मंजील, लैंडमार्क टॉवर, जय क्लब के सामने, सी स्कीम, जयपुर, राज. 302 001 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मुकेश मेघवंशी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. फखरूदीन पुत्र निजामुदीन, निवासी खिलजीयों की पोल, जिला नागौर, राज. 341001
2. खुर्शीदा बेगम पत्नी निजामुदीन, निवासी खिलजीयों की पोल, जिला नागौर, राज. 341001

आदेश

दिनांकः 23/11/2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ऋणी को जरिये खाता संख्या– H4J8FLP0374196 में **रूपये 20,88,637/–(अक्षरे बीस लाख अठयासी हजार छः सौ सैंतीस रूपये मात्र) एवं** खाता संख्या– H4J8FLP0374197 में **रूपये 15,89,153/–(अक्षरे पन्द्रह लाख उनयासी हजार एक सौ त्रेपन रूपये मात्र) दोनो लोन खातों में कुल ऋण राशि 36,77,790/–(छत्तीस लाख सतत्तर हजार सात सौ नब्बे रूपये)** ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति–सम्पूर्ण हिस्सा एवं पार्सल गैर कृषि सम्पति स्थित वार्ड नं. 20, गांधी चौक मौहल्ला, खींचींयो की पोल, गॉधी चौक के पास वाटर टेंक, बी रोड़, तहसील व जिला नागौर, राजस्थान 306 401 है। जिसक चर्तुसीमा इस प्रकार है – पूर्व की ओर रास्ता, पश्चिम की ओर रशीद का मकान, उत्तर की ओर गली एवं दक्षिण की ओर रास्ता स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 06.05.2022** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी में **रूपये** H4J8FLP0374196 में **रूपये 26,76,143/–(अक्षरे छब्बीस लाख छियतर हजार एक सौ तेयालीस रूपये मात्र) एवं** खाता संख्या– H4J8FLP0374197 में **रूपये 19,33,525/–(अक्षरे उन्नीस लाख तैतीस हजार पांच सौ पच्चीस रूपये मात्र) दोनो लोन खातों में कुल बकाया राशि 46,09,668/–(छियालीस लाख नौ हजार छः सौ अड़सठ रूपये) दिनांक 13.05.2022 तक शेष देय एंव इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को नोटिस **दिनांक 24.05.2022,** को जरिये रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को प्रेषित किये एवं उक्त नोटिस को हिन्दी व अग्रेजी दो अखबारों में प्रकाशित भी करवाया गया, परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि खाता संख्या– H4J8FLP0374196 में **रूपये 26,76,143/–(अक्षरे छब्बीस लाख छियतर हजार एक सौ तेयालीस रूपये मात्र) एवं** खाता संख्या– H4J8FLP0374197 में **रूपये 19,33,525/–(अक्षरे उन्नीस लाख तैतीस हजार पांच सौ पच्चीस रूपये मात्र) दोनो लोन खातों में कुल बकाया राशि 46,09,668/–(छियालीस लाख नौ हजार छः सौ अड़सठ रूपये) दिनांक 13.05.2022 तक शेष देय एंव एंव इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण **सम्पति–सम्पूर्ण हिस्सा एवं पार्सल गैर कृषि सम्पति स्थित वार्ड नं. 20, गांधी चौक मौहल्ला, खींचींयो की पोल, गॉधी चौक के पास वाटर टेंक, बी रोड़, तहसील व जिला नागौर, राजस्थान 306 401 है। जिसक चर्तुसीमा इस प्रकार है – पूर्व की ओर रास्ता, पश्चिम की ओर रशीद का मकान, उत्तर की ओर गली एवं दक्षिण की ओर रास्ता स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से H4J8FLP0374196 में **रूपये 20,88,637/–(अक्षरे बीस लाख अठयासी हजार छः सौ सैंतीस रूपये मात्र)** एवं खाता संख्या– H4J8FLP0374197 में **रूपये 15,89,153/–(अक्षरे पन्द्रह लाख उनयासी हजार एक सौ त्रेपन रूपये मात्र) दोनो लोन खातों में कुल ऋण राशि 36,77,790/–(छत्तीस लाख सतत्तर हजार सात सौ नब्बे रूपये) ऋण सुविधा** प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– सम्पति–सम्पूर्ण हिस्सा एवं पार्सल गैर कृषि सम्पति स्थित वार्ड नं. 20, गांधी चौक मौहल्ला, खींचींयो की पोल, गॉधी चौक के पास वाटर टेंक, बी रोड़, तहसील व जिला नागौर, राजस्थान 306 401 है। जिसक चर्तुसीमा इस प्रकार है – पूर्व की ओर रास्ता, पश्चिम की ओर रशीद का मकान, उत्तर की ओर गली एवं दक्षिण की ओर रास्ता स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर